



जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर

पत्रांक : 816 /डूडा/


नगर निगम कैम्पस, गोरखपुर
2026-2027

Mail - dudagkp6848@gmail.com
दिनांक : 02/05/2026

सहायक निदेशक सूचना,
गोरखपुर।


कृपया पत्र के साथ संलग्न मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का ई-टेण्डरिंग के माध्यम से संपन्न कराये जाने वाले कार्यों का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में कम से कम स्थान (12×6) में प्रकाशित कराते हुए भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।


अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय/
परियोजना अधिकारी
डूडा गोरखपुर
ae


प्रतिलिपि -

- 1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा गोरखपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा गोरखपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में संलग्न विज्ञापित प्रकाशनार्थ हेतु।


अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय/
परियोजना अधिकारी
डूडा गोरखपुर
ae

ई0-प्रोक्यूरमेन्ट (निविदा सूचना)

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत कुल 50 अदद निर्माण कार्य की अल्पकालीन ई0-प्रोक्यूरमेन्ट निविदा दिनांक 04.05.2026 को आमंत्रित की जाती है, जिसकी अन्तिम तिथि 25.05.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक है। कार्य का विवरण, नियम व शर्ते वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।


अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय/
परियोजना अधिकारी
डूडा गोरखपुर

जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर

पत्रांक : 817 / डूडा / 2026-2027


दिनांक 02 / 05 / 2026

ई0-प्रोक्यूरमेंट (निविदा) की नियम व शर्तें

- 1- अद्योलिखित कुल 50 कार्य वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
- 2- शासनादेश सं0 419/2019/1264/69-1-2019/14(34)/2019 दिनांक 05.11.2019 द्वारा दिये गये निर्देश उक्त निविदा में लागू होंगे। ऐसे निविदादाताओं को निविदा में अर्ह/L-1 पाये जाने पर नियमानुसार पंजीकरण कर लिया जायेगा जो 02 वर्षों तक वैध होगा।
- 3 निविदा की वैधता 90 दिवस तक होगी। एक बार प्रस्तुत की गई बिड्स किसी भी दशा में बिडर्स द्वारा वापस नहीं ली जा सकती है।
- 4 निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निर्धारित धरोहर धनराशि परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य केवल आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सीधे फर्म द्वारा डूडा गोरखपुर द्वारा संचालित बैंक आफ बड़ौदा के शाखा विश्वविद्यालय, गोरखपुर के खाता सं0 39850100003959 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड BARB0UNIGOR में जमा करते हुए जमा रसीद/यू0टी0आर0 नं0 निविदा अपलोड करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5 धरोहर धनराशि कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत निर्धारित है, जो एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में प्रत्येक बिड के साथ आनलाइन अलग-अलग अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगा। बिड्स की धरोहर धनराशि परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर के पक्ष में बंधक होनी चाहिए। धरोहर धनराशि (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) की मूल प्रति दिनांक 29.04.2026 को सांय 5:00 बजे तक परियोजना अधिकारी, डूडा गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6 बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के संबंध में रू0 100/-नोटरी-शपथ प्रमाण पत्र (टी-6) मूल रूप में परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर को सम्बोधित करते हुए निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो कि ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- 7 निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। टेकेदार को तकनीकी बिड शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है।
- 8 ई-प्रोक्यूरमेंट पर बिड्स अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय दिनांक 25.05.2026 (दिन/माह/वर्ष) दोपहर 3:00 बजे तक है तथा टेक्निकल अर्हता हेतु बिड्स दिनांक 25.05.2026 को सांय 5:00 बजे खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें।
- 9 दिनांक 25.05.2026 को दोपहर 3:00 बजे अथवा उसके पूर्व में बिड्स आनलाईन अवश्य अपलोड हो जानी चाहिए तथा टेक्निकल अर्हता हेतु बिड्स दिनांक 25.05.2026 को सांय 5:00 बजे आनलाईन डाउनलोड कर खोली जायेगी। टेक्निकल बिड्स खोलने कि तिथि पर यदि कार्यालय बन्द होता है तो बिड्स अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर आनलाईन खोली जायेगी तथा निविदाओं कि वैधता निविदा प्रस्तुत करने की मूल तिथि से ही मानी जायेगी तथा वित्तीय बिड्स के खोलने कि तिथि व समय तदनुसार आनलाईन वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। अपलोड समस्त प्रपत्र स्व0 हस्ताक्षरित एवं साफ-साफ होना अनिवार्य होगा।
- 10 अपराधिक रिकार्ड वाले तथा कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 11 प्रत्येक बिडर्स को रूपया 100.00 के नान-ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों (PWD Section-3) पर आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता कि बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) आंकलित की जा सके।
- 12 निविदा के साथ टेकेदार द्वारा बिड कैपेसिटी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो निम्नानुसार आंकलित होगा
Assessed Available Bid Capacity = (A x N x M - B)
Where A = Maximum Value of Civil Engineering Works Executed in One Year
N = Number of Year (Period Up To 6 Months To Be Taken as Half Year And More Than 6 Months as One Year)
M = 2.5
B = Existing Commitments And Ongoing Works

(बिड कैपेसिटी यू0डी0आई0एन0 नं0 के साथ सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में समस्त विभागों में चल रहे कार्य का विवरण गलत पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 13 'ए' श्रेणी के निविदादाता जो अद्यतन पिछले तीन वर्ष में कम से कम दो करोड़ से अधिक लागत का समान कार्य सफलतापूर्वक किये हो, जिनकी हैसियत प्रमाण पत्र रू0 50.00 लाख से कम न हो वह किसी भी राशि तक का निविदा हेतु अर्ह है। 'बी' श्रेणी के निविदादाता जो अद्यतन पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 75.00 लाख से अधिक लागत का समान कार्य सफलतापूर्वक किये हो, जिनकी हैसियत प्रमाण पत्र रू0 30.00 लाख तक हो वह 30.00 लाख राशि तक का निविदा हेतु अर्ह है तथा 'सी' श्रेणी के निविदादाता जो अद्यतन पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 25.00 लाख की लागत तक का समान कार्य सफलतापूर्वक किये हो, जिनकी हैसियत प्रमाण पत्र रू0 20.00 लाख तक हो वह रू0 15.00 लाख राशि तक की निविदा हेतु अर्ह होंगे।
- 14 शासनादेश सं0-3070/78-2-2018-42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ, दि0-03.01.2018 के बिन्दु-4 के अनुसार ई-टेंडरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों (निविदा मूल्य की जमा रसीद, एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अद्यतन तीन वर्ष का आई0टी0आर0 एवं बैलेन्सशीट (यू0डी0आई0एन0 नं0 सहित) तथा जी0एस0टी0, पैन, श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र व पीएफ रजिस्ट्रेशन/पीएफ (लागू न होने की स्थिति में रू0 10 के स्टैम्प शपथ पत्र), टूल प्लान्ट एवं समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के अनुसार ए0बी0सी0 श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रांजेक्शन नं0 को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाली जायेगी तथा निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम न्यूनतम दर निविदादाता से कार्यादेश के पूर्व धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा नोटरी शपथ पत्र एवं प्रतिभूति-धनराशि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।
- 15 निविदा के साथ अद्यतन (तीन माह) के अन्दर जारी बैंक लिक्विड एसेट्स अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 16 निविदादाता द्वारा रू0 10/- स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में संलग्न जमानत राशि (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है, को अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 17 निविदा में उल्लिखित कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। (कार्यादेश प्राप्त होने की तिथि से) विशेष परिस्थिति में समय विस्तार का अधिकार परियोजना अधिकारी, डूडा में निहित होगा तथा सूडा उ0प्र0 लखनऊ से अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर पूर्ण कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
- 18 ठेकेदार के बिल से 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जायेगी। जी0एस0टी0 भुगतान वर्तमान शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा एवं खनन संबंधी सामग्रियों की रायल्टी एमएएमए-11 नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में शासनादेश सं0 3385/8-2015-292/2015 लखनऊ दिनांक 15.10.2015 के अनुसार निर्धारित दर पर रायल्टी से 05 गुना कटौती की जायेगी।
- 19 समस्त कार्यों/मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (Defect Liability Period) 05 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठेकेदार द्वारा कराये गये समस्त निर्माण/मरम्मत कार्यों को 05 वर्ष तक अनुरक्षित करने हेतु ठेकेदार द्वारा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर (नान-ज़्यूडिसियल) स्व0-घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा, जो परियोजना अधिकारी, डूडा गोरखपुर को सम्बोधित/समक्ष होगा। 02 वर्ष के पश्चात तकनीकी जांच में कार्य ठीक पाये जाने की दशा में जमानत धनराशि वापस किये जाने पर विचार किया जायेगा तथा पूर्व में विभाग में पंजीकृत ऐसे ठेकेदार/निविदादाता जिनके द्वारा पिछले 03 वर्षों में कार्यों को पूर्ण कराने में लापरवाही/शिथिलता बरती गयी हो अथवा उनके द्वारा कराये गये कार्यों की बार-बार गुणवत्ता की शिकायत/उच्च स्तरीय जांच करायी गयी हो कि निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
- 20 परियोजना निदेशक/जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा गोरखपुर को किसी भी निविदा, निविदा के किसी भी भाग अथवा सभी निविदाओं के निरस्त करने/समय विस्तार करने का अधिकार होगा। इस संबंध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।


 अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय/परियोजना अधिकारी
 डूडा गोरखपुर